सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

अग्रहायण 12, शुक्रवार, शाके 1943-दिसम्बर 03, 2021
Agrahayana 12, Friday , Saka 1943- December 03, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अगस्त 01, 2019

संख्या प.2(5)वन/2019:-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वन भूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियां है या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार है या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वन भूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रुप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरुप अभी तक किसी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरुप के संबंध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुचाने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्ति करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11(1), 12, 13, 14, 17, 18 और 19 में प्रवहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected Forest) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरित प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन (Protected Forest) के वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित (Reserved) हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया

जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वन भूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

संलग्न:- अनुसूची (वन-भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासनसचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची
(वनभूमि और बंजरभूमि)

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	विवरण			
						राजस्व ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्रफल है॰	भूमि किस्म
1	बावड़ी खुर्द	सिणधारी	बाड़मेर	उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	खसरा न॰39 व 42 खसरा न॰ 43 खसरा न॰ 43 खसरा न॰ 44	बावड़ी खुर्द	43/1 43/2	11बीघा 6 बिस्वा 11 बीघा 6 बिस्वा	बा॰ दोयम
योग								22-12 बीघा बिस्वा (3.658 हैक्टर)	

गेमराराम सेजू
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिणधरी

विक्रम केशरी प्रधान
उप वन संरक्षक
बाडमेर

द्वितीय अनुसूची
पेड़ / पौधो की सूची
प्रस्तावित वनखण्ड मे आने वाली वनस्पतियों के वानस्पतिक नामो की सूची

क्र.सं.	**बोटेनिकल नाम**	**हिन्दी नाम**
1	Acacia Senegal	कुमठा
2	Prosopis cineraria	खेजड़ी
3	Leptadeniapyrotechnica	खीप
4	Prosopisjuliflora	विलायती बबूल
5	Zizyphus jujube	बेर
6	Acacia tortlis	इजरायली बबुल
7	Calotropisprocera	आक
8	Capparisdeciduas	कैर

गेमराराम सेजू
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिणधरी

विक्रम केशरी प्रधान
उप वन संरक्षक
बाडमेर

प्रमाण - पत्र

वनखण्ड–बावड़ी खुर्द

रेंज–सिणधरी

वनमण्डल –बाड़मेर (राज॰)

1. प्रारूप में दर्शायी गई भूमि गैर मुमकिनसंस्था के रूप में दर्ज है। प्रस्तावित भूमि का मौजाबावड़ी खुर्दके खसरा नम्बर 43/1 व 43/2 का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिनबा॰ दोयमके रूप में वन विभाग के नाम दर्ज है।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि क्षेत्र विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं हुए है।चूकि खसरा नम्बर 43/1 व 43/2 की वनभूमि वन विभाग के नाम पुर्वमे ही दर्ज है इसलिए ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।
3. प्रस्तावित वनक्षेत्रपूर्व मे ही विभाग के अधिन है।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व 0.10 से 0.30 तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य जूलीफ्लोरा, कुमठा, टोटलिस,बेर,खेजडी,इजरायली बबुल एवं मिश्रित प्रजातियों के पेड़ एवं झाड़ियां है।
5. प्रस्तावित वन क्षेत्र की समस्त भूमि विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमियां वन सीमाओं से पृथक है एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा।
6. प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है।
7. पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे है।
8. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

गेमराराम सेजू
क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिणधरी

विक्रम केशरी प्रधान
उप वन संरक्षक
बाडमेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।